

न्यायालय:-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, बालाघाट के
न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, बालाघाट(म0प्र0) पीठासीन
अधिकारी- आसिफ अब्दुल्लाह

व्य0वा0 प्रक0क0-10ए/16

संस्थित दिनांक-08.03.2016

फाईलिंग नम्बर- 234501007592016

यादोलाल पिता बाला उम्र 75 वर्ष,

निवासी ग्राम मनेरी, तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)

..... वादी/आवेदक।

बनाम

1. संतोष पिता रामचंद उम्र 43 वर्ष,
निवासी ग्राम मनेरी, तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)
2. श्रीमती तुरसीबाई पिता रामचंद उम्र 48 वर्ष,
निवासी ग्राम मनेरी, तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)
3. श्रीमती राधिकाबाई पति किशनलाल आसटकर उम्र 58 वर्ष,
निवासी ग्राम छोटी (नंदोरा) तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)
4. श्रीमती कौतिकाबाई पति श्रीराम रामटेक्कर उम्र 56 वर्ष,
निवासी ग्राम गणेश नगर गोंदिया, तहसील व जिला गोंदिया (महा0)
5. श्रीमती तरसीबाई पति शोभाराम रामटेक्कर उम्र 53 वर्ष,
निवासी ग्राम पूर्वाटोला, तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)
6. श्रीमती शैल कुमारी पति श्री गेगराज तिडके उम्र 45 वर्ष,
निवासी ग्राम सालेकसा तहसील व जिला गोंदिया (महा0)
7. श्रीमती संध्या पति रवि कुमार मोरघडे उम्र 41 वर्ष,
निवासी ग्राम फोपसा, तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)
8. श्रीमती सुशीलाबाई पति बुधराम सोनवाने उम्र 50 वर्ष,
निवासी ग्राम नीमटोला, तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)
9. श्रीमती जमनीबाई पति राजेश्वर रणदिवे उम्र 54 वर्ष,
निवासी पोस्ट, मुकाम अमेडा, तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)
10. विजय कुमार पिता तुलाराम उम्र 45 वर्ष,
निवासी ग्राम मनेरी, तहसील लांजी जिला बालाघाट (म0प्र0)

11. चैतरामव वल्द तुलाराम उम्र 43 वर्ष, (भृत्य, मुख्य डाकघर जबलपुर)
निवासी भू-सर्वेक्षण क्वार्टर संजीवनी नगर जबलपुर तहसील व जिला
जबलपुर (म0प्र0)
12. म0प्र0 शासन द्वारा जिला कलेक्टर बालाघाट,
तहसील एवं जिला बालाघाट (म0प्र0)

..... प्रतिवादीगण / अनावेदकगण ।

---:: आदेश ::---

---:: आज दिनांक 16.06.2016 को पारित ::---

1. इस आदेश के द्वारा स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के वाद में आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 जा0दी0 आई0ए0नं0-01 का निराकरण किया जा रहा है।
2. प्रकरण में यह अविवादित है कि आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादीगण के बाबा रघु थे जिनकी पत्नी रम्भीबाई थी। वादग्रस्त भूमियाँ रघु के स्वत्व एवं आधिपत्य की रही है। प्रकरण में यह भी अविवादित है कि उभयपक्ष हिन्दू धर्मात्मक हैं और अपनी व्यक्तिगत हिन्दू विधि से शासित हैं।
3. आवेदन पत्र इस आशय का है कि वादी तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज रघु को विरासतन हक में ग्राम मनेरी स्थित भूमि खसरा क्रमांक-349/1ड. रकबा 2.00 एकड़, 359 व 361/2 रकबा 0.10 डिसमिल, 359 व 361/4 रकबा 2.90 एकड़, 452/60ख व 452/61क रकबा 0.10 डिसमिल, 519/1 रकबा 0.75 डिसमिल, 520 रकबा 1.57 एकड़, 524/1 रकबा 0.39 एकड़, 519/2 रकबा 1.35 एकड़ तथा खसरा नम्बर 339/1घ रकबा 2.00 एकड़ कुल रकबा 11.16 एकड़ तथा मौजा बड़गांव स्थित भूमि खसरा क्रमांक-85, 86/1क रकबा 2.19 एकड़ प्राप्त हुई थी। मौजा मनेरी की भूमि खसरा क्रमांक-500/5 रकबा 0.48 डिसमिल रघु ने अपनी पत्नी रम्भीबाई के नाम पर क़य किया था। रघु की मृत्यु वर्ष 1952-53 में हो गई इसके पश्चात् उक्त भूमियाँ उसके पुत्र बाला, तुलाराम, रामचंद तथा उसकी विधवा रम्भीबाई के नाम राजस्व अभिलेखों में शामिल शरीक दर्ज हो गई, बाद में सभी पक्षों ने मौखिक तौर पर आपस में बटवारा कर अपने-अपने हिस्से 3.45-3.45 एकड़ पर काबिज चले आये। रम्भीबाई व उसके पुत्र रामचंद व तुलाराम ने मिलकर 1.00 एकड़ जमीन विक्रय कर दिया जिससे उसके हिस्से में 2.45 एकड़ भूमि शेष बची। वर्ष 1989 में रम्भीबाई की मृत्यु होने के बाद बाला के वारसान वादी तथा तुलाराम एवं रामचंद ने रम्भीबाई की शेष बची भूमि का आपस में बटवारा कर लिया। इस प्रकार वादी

यादोलाल को 4.04 एकड़ तथा तुलाराम व रामचंद को भी 4.04-4.04 एकड़ भूमि प्राप्त हुई और वे अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर कमाते रहे, किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमियाँ शामिल शरीक दर्ज रही। बाद में तुलाराम ने अपने हिस्से की 1.00 एकड़ भूमि यादोलाल को तथा 0.50 एकड़ भूमि रामचंद तथा अपने हिस्से की भूमि रामचंद के सहयोग से अन्य लोगों को विक्रय कर दिया और इस प्रकार यादोलाल को कुल 5.04 एकड़ भूमि प्राप्त हुई। रामचंद जो कि शराब पीने का आदि था ने अपने हिस्से की भूमि दिनांक-04.06.1963 एवं 06.07.1965 को 1.00-1.00 एकड़ कुल 2 एकड़ विक्रय कर दिया तथा दिनांक-25.07.75 को भी अपने हिस्से की भूमि में से 0.90 डिसमिल भूमि हगरू को विक्रय कर दिया। भूमि खसरा क्रमांक-524/1 रकबा 0.39 डिसमिल दिनांक-19.02.1966 को वादी यादोलाल का नाम फर्जी रूप से लिखकर विक्रय कर दिया गया है तथा दिनांक-08.04.1968 को भूमि खसरा क्रमांक-349/1घ में से 1.00 एकड़ भूमि तुलसीराम को दिनांक-03.01.86 को 0.98 डिसमिल भूमि केजुलाल को विक्रय कर दिया गया है। दिनांक-26.02.1985 को भूमि खसरा क्रमांक-349/1ड. में से 0.55 डिसमिल भूमि, दिनांक-20.03.1960 को भूमि खसरा क्रमांक-500/5 रकबा 0.48 डिसमिल भूमि बाबूराव को विक्रय कर दिया गया है तथा मौजा बड़गांव की भूमि भी विक्रय कर दी गई है। इस प्रकार रामचंद व तुलाराम के द्वारा अपने हक व हिस्से की सम्पूर्ण भूमि विक्रय की जा चुकी है और विक्रय किये जाने में यादोलाल की कोई सहमति नहीं थी और न ही उसे विक्रय की कोई राशि प्राप्त हुई है और न ही उसे विक्रय का कोई ज्ञान था। यादोलाल वर्ष 1966 से शासकीय सेवा में था और काश्तकारी का पूरा काम रामचंद और तुलाराम ही करते थे।

4. अग्रेतर आवेदन पत्र इस आशय का है कि रामचंद की मृत्यु होने के पश्चात् उसके पुत्र व पुत्रियों प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 का नाम वारिस के तौर पर राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ, किन्तु सम्पूर्ण भूमि पर यादोलाल ही पूर्ववत् काश्त करता रहा है। बाद में रामचंद के पुत्रों द्वारा उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के आधार पर तहसीलदार लांजी के न्यायालय में बटवारा हेतु राजस्व प्रकरण क्रमांक-11/अ-27/09-10 प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिनांक-30.04.2012 को अवैधानिक रूप से आदेश पारित कर 2.99 एकड़ भूमि यादोलाल तथा 2.25 एकड़ भूमि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 के नाम चढ़ा दी गई है, जिसके विरुद्ध वादी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लांजी तथा कमिश्नर जबलपुर के समक्ष अपील की गई थी जो कि निरस्त कर दी गई है। कमिश्नर द्वारा दिनांक-20.01.2016 को अपील खारिज होने के उपरान्त प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं तथा वे भूमियों को विक्रय कर सकते हैं जिससे वादी को अपूर्ण क्षति होगी। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है। अतः इस आशय का अस्थायी व्यादेश कि प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 वाद के अन्तिम निराकरण तक वादग्रस्त भूमि में वादी के आधिपत्य में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करें न करावे तथा भूमि का विक्रय न करें जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदन पत्र

के समर्थन में वादी यादोलाल तथा चैतराम द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 एवं प्रतिवादी क्रमांक-10 व 11 द्वारा उक्त आवेदन पत्र का पृथक-पृथक जवाब प्रस्तुत किया गया है। अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-10 व 11 द्वारा जवाब आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदक/वादीगण के आवेदन पत्र को स्वीकार किया है तथा यह भी अभिवचन किया है कि वादग्रस्त भूमि में उनका भी हिस्सा है। अतः उभयपक्ष के हित में आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 ने स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्यों को अस्वीकार किया है। अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 के जवाब आवेदन पत्र के अनुसार वे वादग्रस्त भूमि के अपने हक व हिस्से पर काबिज है। राजस्व न्यायालय के आदेशानुसार वादी तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 के मध्य बटवारा के आधार पर वादी तथा उनका नाम पृथक हो चुका है। प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 के हक व हिस्से की भूमि में वादी का वर्तमान में कोई संयुक्त नाम व कब्जा नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति वादी के पक्ष में नहीं है। अतः आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। जवाब आवेदन पत्र के समर्थन में संतोष, यादोराव एवं पंडुरंग द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. आवेदन पत्र के निराकरण हेतु मुख्य अवधारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

1. क्या प्रथम दृष्टया मामला आवेदक/वादी के पक्ष में है ?
2. क्या सुविधा का संतुलन आवेदक/वादी के पक्ष में है ?
3. क्या अस्थायी व्यादेश जारी न किये जाने से आवेदक/वादी को अपूर्णीय क्षति होना संभाव्य है ?

—: सकारण निष्कर्ष :—

7. उभयपक्ष द्वारा अपने-अपने समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं जो कि एक दूसरे का खण्डन करते हैं इसी प्रकार उभयपक्ष ने अपने-अपने समर्थन में ग्राम पंचायत मनेरी के सरपंच का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि विरोधाभासी है। ऐसी स्थिति में शपथ-पत्रों के आधार पर कोई निष्कर्ष दिया जाना सम्भव नहीं है तथा दस्तावेजों का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रथमदृष्टया मामला

8. उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में उभयपक्ष के अभिवचन एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। अधिकार अभिलेख पंजी वर्ष 1954-55 के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि मौजा मनेरी तहसील लांजी स्थित भूमि खसरा क्रमांक-349/1ड. रकबा 2.00

एकड़, 359-361/5 रकबा 0.10 एकड़, 359-361/4 रकबा 2.90 एकड़, 452/60ख व 452/61क रकबा 0.50 एकड़, 519/1 रकबा 0.75 एकड़, 520 रकबा 1.57 एकड़, 524/1 रकबा 0.39 एकड़, 519/2 रकबा 1.35 एकड़ तथा 349/1घ रकबा 2.00 एकड़ कुल किता 9 कुल रकबा 11.16 एकड़ आवेदक/वादी यादोराव जो कि मूल पुरुष रघु के पुत्र बाला का पुत्र है तथा तुलाराम, रामचंद जो कि कमशः अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 व अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-10, 11 के पिता तथा रघु के पुत्र है तथा रम्भी बेवा रघु के स्वत्व एवं आधिपत्य में दर्ज थी। भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका से भी दर्शित हो रहा है कि उक्त भूमियाँ उक्त यादोराव एवं अन्य के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रही है। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों से दर्शित हो रहा है कि वादग्रस्त भूमियाँ आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 10 के पूर्वज एवं मूल पुरुष रघु के स्वत्व एवं आधिपत्य की थी जिसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमियाँ आवेदक/वादी जो कि रघु का पौत्र है तथा रामचंद एवं तुलाराम जो कि रघु के पुत्रगण है तथा रघु की बेवा रम्भीबाई के नाम दर्ज रही है।

9. पंजीकृत विक्रय विलेख की छायाप्रति दिनांक-20.11.1959, 27.11.1959 तथा 08.02.1968 के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि मु0 रम्भीबाई बेवा रघु तथा तुलाराम व रामचंद दोनों वल्द रघु द्वारा मौजा बड़गांव व मौजा मनेरी की भूमि खसरा क्रमांक-85 एवं 86/1क में से 1 एकड़ एवं 1.19 एकड़ तथा भूमि खसरा क्रमांक-239/1 में से 1 एकड़ तुलसीराम तथा चरन को विक्रय किया गया है। विक्रय पत्र दिनांक-04.07.1963 व 07.06.1965 की छायाप्रतियों के अवलोकन से दर्शित हो रहा है कि रामचंद जो कि अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 का पिता है ने मौजा मनेरी की भूमि खसरा क्रमांक-359-361/4 में से रकबा 1 एकड़ एवं खसरा क्रमांक-361/4 में से रकबा 1 एकड़ कमशः रामनन्द एवं जानू को विक्रय किया है। विक्रय पत्र दिनांक-28.08.1975 व 15.02.1976 की छायाप्रतियों से दर्शित हो रहा है कि तुलाराम जो कि अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-10 व 11 का पिता है ने मौजा मनेरी की भूमि खसरा क्रमांक-359-361/4 में से 0.50 एकड़ तथा 0.50 एकड़ हगरू नामक व्यक्ति को विक्रय किया है। विक्रय पत्र दिनांक-20.03.70 की छायाप्रति से दर्शित हो रहा है कि मु0 रम्भीबाई बेवा रघु द्वारा मौजा मनेरी की भूमि खसरा क्रमांक-500/5 में से 0.48 एकड़ बाबूराव को विक्रय किया है। इसी प्रकार विक्रय पत्र दिनांक-19.02.1966 की छायाप्रति से यह भी दर्शित हो रहा है कि यादोलाल जो कि आवेदक/वादी है ने मौजा मनेरी की भूमि खसरा क्रमांक-524/1 रकबा 0.39 एकड़ अनन्तराम को विक्रय किया है।

10. इस प्रकार विक्रय पत्र की छायाप्रतियों के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि रम्भीबाई जो कि मूल पुरुष रघु की विधवा पत्नी थी, रामचंद जो कि अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 का तथा तुलाराम जो कि अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-10 व 11 का पिता है व मूल पुरुष रघु के पुत्रगण है ने समय-समय पर रघु के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमियों का संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक विक्रय किया है। किश्तबंदी खतौनी वर्ष

2010-11 से दर्शित हो रहा है कि भूमि खसरा क्रमांक-349/1/ख रकबा 0.008 हे०, 349/1/ड रकबा 0.587 हे०, 452/60/ख-452/61/क रकबा 0.040 हे०, 519/1 रकबा 0.304 हे०, 519/2 रकबा 0.547 हे० तथा 520 रकबा 0.636 हे० स्थित मौजा मनेरी आवेदक/वादी एवं अनावेदक/प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य में दर्ज है। न्यायालय नायब तहसीलदार लांजी के राजस्व प्रकरण क्रमांक-11अ/22/09-10, आदेश दिनांक-30.04.12 के अवलोकन से प्रकट हो रहा है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों का आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 के बीच बटवारा किये जाने का आदेश पारित किया गया है। यह भी दर्शित हो रहा है कि उक्त आदेश के आधार पर खसरा पांचसाला एवं किश्तबंदी खतौनी में आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादीगण का नाम पृथक-पृथक सुधार किया जा चुका है। उक्त आदेश के बाद राजस्व अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर भूमियों का बटवारा कर आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 को पृथक-पृथक मौके पर आधिपत्य दिया जा चुका है, ऐसा दर्शित नहीं हो रहा है और न ही अनावेदक/प्रतिवादीगण द्वारा उसे प्राप्त भूमियों का कोई राजस्व नक्शा प्रस्तुत किया गया है और न ही उसने ऐसा कोई नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है जिससे यह दर्शित हो कि उसे वादग्रस्त भूमियों में कौनसा हिस्सा बटवारा के पश्चात् प्राप्त हुआ है जिस पर उसका आधिपत्य है। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है कि आवेदक/वादी एवं अनावेदक/प्रतिवादीगण का वादग्रस्त भूमियों के पृथक-पृथक अंश पर पृथक-पृथक आधिपत्य है। बटवारा आदेश हो जाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में सुधार हो जाने मात्र से यह अनुमानित नहीं किया जा सकता कि वादग्रस्त भूमियों पर अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 का प्रथमतः आधिपत्य है।

11. उल्लेखनीय है कि सहखाते की भूमियों के प्रत्येक अंश पर प्रत्येक सहखातेदार के आधिपत्य की उपधारणा होती है। यह भी सुस्थापित विधि है कि सहखाते की भूमि में सहखातेदार के विरुद्ध कब्जा संबंधी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। वादग्रस्त भूमियों में आवेदक/वादी एवं अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 10 का प्रत्येक अंश पर आधिपत्य होना दर्शित हो रहा है। ऐसी स्थिति में सहखातेदारों के विरुद्ध कब्जे संबंधी अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित नहीं है। पूर्व में की गई विवेचना से यह स्पष्ट है कि मूल पुरुष रघु के स्वत्व व आधिपत्य की जो भूमियाँ थी उनमें से भूमियाँ अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 तथा अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-10 व 11 के पिता रामचंद एवं तुलाराम द्वारा समय-समय पर विक्रय किया जा चुका है। यह तथ्य कि रामचंद व तुलाराम ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमियाँ विक्रय कर दी है तथा वादग्रस्त शेष भूमियाँ आवेदक/वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की है, साक्ष्य की विषय वस्तु है तथापि मामले में स्वत्व के निराकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न अन्तर्ग्रास्त होना दर्शित हो रहा है। अतः प्रथमदृष्ट्या: मामला आवेदक/वादी के पक्ष में पाया जाता है। जहां तक अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांतों बलदेव प्रसाद विरुद्ध चुनवाद प्रसाद 1997(1)एम.पी.डब्ल्यू.एन.

नोट नम्बर 235, श्रीमती मालतीबाई विरुद्ध प्रेमलाल अग्रवाल 2000(1)एम.पी. डब्ल्यू.एन. नोट नम्बर 166 तथा सेवल विरुद्ध कमला 1996(1)एम.पी. डब्ल्यू.एन. नोट नम्बर 167 जिनमें प्रतिपादित किया गया था कि अविभक्त हिन्दू सम्पत्ति जिसमें कोई भी विभाजन वादी द्वारा नहीं दर्शाया गया अनन्य कब्जे का दावा नहीं कर सकता, अविभक्त पूर्वतर विभाजन अस्पष्ट जिसमें विनिर्दिष्ट सम्पत्ति परिभाषित नहीं ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण सम्पत्ति का पुनर्वितरण करना साम्य पूर्ण है तथा पूर्वतर वाद में विभाजन/व्यवस्था विलेख प्रकट नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में ऐसे अभिलेख पर पश्चात्वर्ती वाद मान्य नहीं है का प्रश्न है। हस्तगत वाद में भी वादग्रस्त भूमियों के संबंध में कब्जा संबंधी व्यादेश जारी नहीं किया जाना न्यायालय द्वारा पाया गया है शेष दो अन्य न्यायदृष्टांतों के तथ्य व परिस्थितियाँ हस्तगत प्रकरण की तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण मामले में स्वीकार किये जाने के योग्य नहीं है।

सुविधा का सन्तुलन

12. वादग्रस्त भूमियों आवेदक/वादी तथा अनावेदक/प्रतिवादीगण के सहखाते की होना राजस्व अभिलेखों से दर्शित हो रहा है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमियों के स्वत्व के निराकरण का महत्वपूर्ण प्रश्न विचारणीय है। ऐसी स्थिति में वादलम्बन काल के दौरान यदि वादग्रस्त भूमियों जो कि अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 के नाम राजस्व अभिलेखों में बटवारा पश्चात् अभिलेखों में सुधार कर दर्ज की गई है उनके द्वारा विक्रय कर दी जाती है तो यद्यपि कि मामले में धारा-52 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के तहत लम्बित वाद का सिद्धान्त आकर्षित होगा तथापि यदि आवेदक/वादी वाद में सफल होता है तो निश्चित ही उसे अन्य व्यक्तियों को भी पक्षकार बनाना पड़ेगा और मुकद्मेबाजी में पड़कर उसे असुविधा का सामना करना पड़ेगा, जबकि वादग्रस्त भूमियों के विक्रय पर रोक लगाये जाने से अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 को किसी भी प्रकार की असुविधा होना दर्शित नहीं हो रहा है। अतः सुविधा का सन्तुलन आवेदक/वादी के पक्ष में पाया जाता है।

अपूर्णिय क्षति

13. वादग्रस्त भूमियों के स्वत्व का महत्वपूर्ण प्रश्न मामले में विचारणीय है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन आवेदक/वादी के पक्ष में दर्शित हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 द्वारा वादग्रस्त भूमियों वादलम्बन काल के दौरान विक्रय कर दी जाती है तो आवेदक/वादी को अपने महत्वपूर्ण विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा तथा मुकद्मेबाजी में उलझकर उसे अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः अपूर्णीय क्षति का तथ्य भी आवेदक/वादी के पक्ष में पाया जाता है।

14. उपरोक्त विवेचना से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आवेदक/वादी भूमियों के विक्रय न किये जाने के संबंध में अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा के आधार प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपने पक्ष में दर्शाने में सफल रहा है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वादग्रस्त भूमियाँ आवेदक/वादी एवं अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 11 के सहखाते की होना दर्शित हो रही है जिसके प्रत्येक अंश पर प्रत्येक सहखातेदार के कब्जे की उपधारणा होती है। अतः आवेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0 आई0ए0नं0-1 स्वीकार किया जाता है। अनावेदक/प्रतिवादी क्रमांक-1 से 9 को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमियों का कोई भी अंश वाद के अन्तिम निराकरण तक किसी भी अन्य को विक्रय बन्धक, दान या किसी भी अन्य प्रकार से नहीं करेंगे। उभयपक्ष को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमियों के संबंध में वाद के अन्तिम निराकरण तक यथास्थिति बनाये रखेंगे।

दिनांक:- 16.06.2016

स्थान:- बालाघाट म0प्र0।

मेरे बोलने पर टंकित।

(आसिफ अब्दुल्लाह)
प्र0व्य0न्याया0वर्ग-1 बालाघाट
के अति0न्याया0 बालाघाट

(आसिफ अब्दुल्लाह)
प्र0व्य0न्याया0वर्ग-1 बालाघाट
के अति0न्याया0 बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (श)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय/विधिक उपयोग हेतु अमान्य)